कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोरबा,छ0ग0

//संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्र./672/ भू.अ./वन अधि./2023 कोरबा दिनांक 05/06/2023

प्रति,

महाप्रबंधक
एसईसीएल गेवरा क्षेत्र
जिला कोरबा

विषय :– **कोरबा जिले में कटघोरा वन मण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा खुली खदान के लिए (गेवरा 81.380 हे. व खोडरी 12.913 हे. कुल रकबा रकबा 94.293 हे०) गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/एसईसीएल/मप्र/गेक्षे/पर्यावरण/2023/45 दिनांक 13.04.23।

———000———

विषयांतर्गत जिला कोरबा, वनमण्डल कटघोरा, अनुभाग कटघोरा, अंतर्गत एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/519/भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 17.02.2016 के द्वारा कुसमुण्डा खुली खदान परियोजना हेतु कुल रकबा 142.257 हेक्टेयर वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन बाबत् वन सरंक्षण अधिनियमि 1980 एवं अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र जारी किये गये है। महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र एवं एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र के द्वारा उक्त परियोजना का विभाजन कर दो अलग–अलग कर संशोधित प्रमाण पत्र हेतु लेख किया है।

संदर्भित पत्र में मेसर्स महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र हेतु प्रभावित ग्राम के वनभूमि बाबत् अभिमत सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटघोरा से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रभावित वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	वनमण्डल	तहसील	ग्राम का नाम	गेवरा OC हेतु प्रभावित वन भूमि खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (एकड़ में)	रिमार्क
1	कटघोरा	दीपका	गेवरा	153	76.07	
2	कटघोरा	दीपका	गेवरा	277	24.26	
3	कटघोरा	दीपका	गेवरा	481	2.20	
4	कटघोरा	दीपका	गेवरा	579	0.16	
5	कटघोरा	दीपका	गेवरा	585	2.65	
6	कटघोरा	दीपका	गेवरा	957	11.64	
7	कटघोरा	दीपका	गेवरा	959	15.05	
8	कटघोरा	दीपका	गेवरा	1182	68.81	
9	कटघोरा	दीपका	गेवरा	1241	0.25	
	योग				**201.09 (81.380 हे.)**	

94.293 हे.

10	कटघोरा	दीपका	खोडरी	40	6.67	
11	कटघोरा	दीपका	खोडरी	242/1	25.14	
12	कटघोरा	दीपका	खोडरी	242/3	0.10	
	योग				**31.91 (12.913 हे.)**	
	महायोग				**233.00 (94.293)**	

उक्त परियोजना से प्रभावित राजस्व वनभूमि में किसी भी हितग्राही का वन अधिकार पत्रक प्रभावित नहीं हो रहा है एवं न ही पत्रक वितरण हेतु शेष है। प्रस्तावित स्थल में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्ति निवासरत् नहीं है एवं प्रभावित नहीं हो रहे हैं तथा शासन द्वारा संचालित सुविधाएँ जैसे आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, पाठशाला, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः वनमण्डल कटघोरा, अनुभाग कटघोरा, तहसील भैसमा दीपका के अंतर्गत मेसर्स महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा को गेवारा खुली खदान में प्रभावित राजस्व वनभूमि कुल रकबा 94.293 हे0 का गैर वानिकी कार्य किए जाने बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान/विधि अनुसार कार्य किए जाने हेतु अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तो के अधीन कोई आपत्ति नहीं है–

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित वन भूमि पर मेसर्स महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा को वनमण्डल कटघोरा के अनुभाग कटघोरा, अंतर्गत ग्राम गेवरा एवं खोडरी में गेवरा खुली खदान परियोजना में आने वाले वनभूमि पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दी जा रही है।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र परियोजना मेसर्स महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा को गेवरा खुली खदान परियोजना के कार्य हेतु दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
4. वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
5. यह अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांरण नही किया जा रहा है।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/673 /भू.अ./वन अधि./2023 कोरबा, दिनांक : 05/06/2023

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)